95

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 23 रा० (वि०भाग)
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0—म0 नि0 —II—उ0 यो0—70 / 2018—19 /   / मत्स्य, राँची, दिनांक 18/7/2019

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वाराः— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार' ।

विषय— चालू वित्तीय वर्ष 2019—20 में मॉग संख्या—53—कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), मुख्य शीर्ष—2405—मछली पालन अंतर्गत उपबंधित राशि के तहत् कुल मो0 50.00 लाख (पचास लाख) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर नई राज्य योजना आई0ओ0टी0 का विकास योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019—20 में मॉग संख्या—53—कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)—मुख्य शीर्ष—2405—मछली पालन अंतर्गत संलग्न ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 945 द्वारा आई0ओ0टी0 (Internet of Things) का विकास योजना के लिए कुल उपबंधित राशि मो0 50.00 लाख रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर योजना एवं योजना कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य प्रक्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर इन्टरनेट आधारित उपकरणों के अधिष्ठापन से तालाबों के पानी की गुणवत्ता आदि की मोनिटरिंग किया जाना है। इन उपकरणों से तालाबों के जल का घुलनशील ऑक्सीजन, pH, तापमान एवं क्षारीयता (Alkalinity)का लगातार अनुश्रवण किया जा सकेगा क्योंकि इन उपकरणों से real time data की मोनिटरिंग की जा सकेगी।ये सभी उपकरण Mobile App Based एवं Mobile Connectivity पर आधारित होगा। इससे मत्स्य कृषकों के मोबाईल पर तालाब के पानी के पारामीटर्स, खासकर घुलनशील ऑक्सीजन का एलर्ट प्राप्त होते रहेगा। सघन मत्स्य पालन (Intensive Fish Culture) कर रहे मत्स्य कृषक कहीं भी रहकर इसकी मॉनेटरिंग कर सकेंगे एवं तदनुसार बेहतर तालाब प्रबंधन कर अधिक मत्स्य उत्पादन कर सकेंगे। इस योजना से राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 52 आई0ओ0टी0 उपकरणों का प्रयोग कर डाटा प्राप्त किया जाएगा।

2. स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य योजना के निम्न बजट शीर्ष/विपत्र कोड में उपबंधित /आवंटित राशि के अधीन विकलनीय होगी।

मॉग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन (राशि लाख रु0 में)

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन–उप शीर्ष–64–आई0ओ0टी0 का विकास योजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री 53 S 240500101640323	15.00	15.00
2	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन–उप शीर्ष–64–आई0ओ0टी0 का विकास योजना–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय 53 S 240500101640759	10.00	10.00
3	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–64–आई0ओ0टी0 का विकास योजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री 53 S 240500796640323	15.00	15.00
4	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–64–आई0ओ0टी0 का विकास योजना–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय 53 S 240500796640759	10.00	10.00
	कुल योग :	**50.00**	**50.00**

मो0 50.00 लाख (पचास लाख) रू0 मात्र।

3. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न मापदण्ड होंगे–

(क) यह योजना प्रायोगिक तौर पर सभी जिलों के चयनित मात्र 52 मत्स्य कृषकों हेतु कार्यान्वित होगी।

(ख) वैसे मत्स्य कृषकों को इसका लाभ दिया जाएगा जिनके पास 1–2 एकड़ रकबा के सदाबहार तालाब हों।

(ग) दिए जाने वाले उपकरणों की इकाई लागत में लाभुक का अंशदान 10 प्रतिशत होगा। अनुमानतः एक उपकरण की इकाई लागत 65,000/–(पैंसठ हजार) रू0 होगी।

(घ) कृषकों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उनके सदाबहार तालाबों का वार्षिक मत्स्य उत्पादन कम से कम 1000 कि0ग्रा0 प्रति एकड़ प्रति वर्ष हो।

(ड़) एक लाभुक को अधिकतम 2 इकाई उपकरण ही देय होंगे।

(च) आवेदक मत्स्य कृषक के पास स्मार्ट फोन होना चाहिए।

(छ) उपकरणों का क्रय जिलावार जेम (GEM) अथवा समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रित कर विहित प्रक्रिया अनुसार की जाएगी।

4. लाभुकों की अनुशंसा समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिले में निम्न समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसकेसदस्य होंगे–

(i) जिला मत्स्य पदा० – सह –मुख्य कार्यपालक पदा०/जिला मत्स्य पदा०

(ii) जिला पशुपालन पदाधिकारी

(iii) जिला गव्य विकास पदाधिकारी

(iv) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि

(v) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु प्रगतिशील मत्स्य पालकों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि

(vi) जिले के वरीयतम मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक – सदस्य सचिव समिति द्वारा अनुशंसित लाभुकों के चयन हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त से अनुमोदन प्राप्त किया जाए। लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

5. इस योजना अन्तर्गत उपबंधित "अन्य व्यय" की राशि से संबंधित जिला मत्स्य कार्यालयों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा चयनित मत्स्य कृषकों को आव यक प्रशिक्षण आपूर्तिकर्ता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही संबंधित जिला मत्स्य कार्यालयों में इन उपकरणों से प्राप्त होने वाले डेटा के संधारण हेतु कम्प्यूटर आदि के साथ व्यवस्था की जाएगी तथा उपकरणों के वार्षिक मेन्टेनेन्स पर भी उक्त राशि से व्यय किया जाएगा।

6. इस योजना अन्तर्गत जिलावार एवं लघु शीर्षवार प्रस्तावित लक्ष्य परिशिष्ट–I के रूप में संलग्न है। जिलावार दिए गए भौतिक लक्ष्यों एवं आवंटित राशि के विरुद्ध संबंधित कोषागारों से राशि की निकासी की जाएगी।

7. इस योजना अन्तर्गत संपूर्ण राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय होगी एवं इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे।

8. संलेख सं0 736 दिनांक 31.05.2019 के आलोक में राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 07.06.2019 की बैठक में योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा बैठक की कार्यवाही माननीय मुख्य (योजना–सह–वित्त) मंत्री के अनुमोदन उपरान्त योजना–सह–वित्त विभाग के ज्ञापांक रा0यो0प्रा0 –116/19 राँची, दिनांक 18.06.2019 द्वारा निर्गत है।

9. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

10. वित्तीय वर्ष 2018–19 में यह योजना स्वीकृत नहीं थी।

11. योजना के अन्तर्गत कोई भी राशि अग्रिम के समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

12. यह एक नई राज्य योजना है।

13. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय

नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी।

15. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0–सी0एस0–02/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

16. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जाएगा। सामग्री एवं उपकरण का क्रय योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा स्थापित नियमों के आलोक में किया जायेगा।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

19. स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात् विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 23स्था0(विभाग) **मत्स्य / राँची, दिनांक** 18/7/2019

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द, राँची/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 23स्था0(विभाग) **मत्स्य / राँची, दिनांक** 18/7/2019

प्रतिलिपिः– योजना–सह–वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 23स्था0(विभाग) **मत्स्य / राँची, दिनांक** 18/7/2019 **प्रतिलिपिः**– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट–I

वित्तीय वर्ष 2019–20 में नई योजना–आई0ओ0टी0 का विकास योजना अंतर्गत जिलावार प्रस्तावित भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)

क्र0	जिला का नाम	लघु शीर्ष–101			लघु शीर्ष–796			कुल वित्तीय लक्ष्य
		विस्तृत शीर्ष– 03– प्रशासनिक व्यय –23– आपूर्ति एवं सामग्री		विस्तृत शीर्ष– 07– अन्य व्यय –59– अन्य व्यय	विस्तृत शीर्ष– 03– प्रशासनिक व्यय –23– आपूर्ति एवं सामग्री		विस्तृत शीर्ष– 07– अन्य व्यय –59– अन्य व्यय	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रॉची	0	0.00	0.00	4	2.34	1.40	3.74
2	खूंटी	0	0.00	0.00	1	0.59	0.40	0.99
3	गुमला	0	0.00	0.00	2	1.17	0.80	1.97
4	सिमडेगा	0	0.00	0.00	1	0.59	0.40	0.99
5	लोहरदगा	0	0.00	0.00	1	0.59	0.40	0.99
6	पलामू	2	1.17	0.80	0	0.00	0.00	1.97
7	लातेहार	0	0.00	0.00	1	0.59	0.40	0.99
8	गढ़वा	2	1.17	0.80	0	0.00	0.00	1.97
9	पूर्वी सिंहभूम	0	0.00	0.00	2	1.17	0.80	1.97
10	प0 सिंहभूम	0	0.00	0.00	2	1.17	0.80	1.97
11	सरायकेला	0	0.00	0.00	3	1.76	1.10	2.86
12	हजारीबाग	3	1.76	1.10	0	0.00	0.00	2.86
13	रामगढ़	2	1.17	0.80	0	0.00	0.00	1.97
14	कोडरमा	2	1.17	0.80	0	0.00	0.00	1.97
15	बोकारो	3	1.76	1.10	0	0.00	0.00	2.86
16	धनबाद	2	1.17	0.80	0	0.00	0.00	1.97
17	गिरिडीह	2	1.17	0.80	0	0.00	0.00	1.97
18	चतरा	2	1.17	0.80	0	0.00	0.00	1.97
19	देवघर	4	2.34	1.40	0	0.00	0.00	3.74
20	दुमका	0	0.00	0.00	3	1.76	1.10	2.86
21	जामताड़ा	0	0.00	0.00	2	1.17	0.80	1.97
22	पाकुड़	0	0.00	0.00	2	1.17	0.80	1.97
23	साहेबगंज	0	0.00	0.00	2	1.17	0.80	1.97
24	गोड्डा	2	1.17	0.80	0	0.00	0.00	1.97
	योग :	**26**	**15.21**	**10.00**	**26**	**15.21**	**10.00**	**50.42**
	अर्थात	**26**	**15.00**	**10.00**	**26**	**15.00**	**10.00**	**50.00**

नोट–उपर्युक्त राशि की गणना अनुमानित इकाई लागत के आधार पर की गई है। वास्तविक क्रय की दरों के आधार पर प्रक्रियानुसार राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्तीय लक्ष्य को आवंटन नहीं समझे।

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव